न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण /2014 निगरानी R 2298. III/14

1. काशीगिर पुत्र फूलगिर
2. केशर गिर पुत्र जनक गिर
3. श्यामगिर पुत्र जनक गिर
4. मनोवाई पत्नी पुरूषोत्तम राव

निवासीगण – ग्राम डुंगासरा
तहसील चन्देरी, जिला अशोक नगर

........................आवेदकगण

बनाम

1. दीवान गिर पुत्र. मोहन गिर
निवासी ग्राम डुंगासरा तहसील चन्देरी
जिला अशोक नगर
2. म0प्र0 शासन

........................अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिता न्यायालय तहसीलदार तहसील चन्देरी, जिला अशोक नगर द्वारा प्रकरण 25 अ –12/2013–14 में पारित आदेश सीमांकन रिर्पोट दिनांक 30.05.2014 पंचानामा दिनांक 30.05.2014 एवं रसीद दिनांक 30.05.2014 के विरूद्ध निगरानी

महोदय,

आवेदकगण की और से निगरानी निम्न तथ्यो एवं आधारो पर प्ररतुत है।

1. यह कि, ग्राम डुंगासरा स्थित सर्वे क्र0 89/1, 89/2, 89/3, एवं 89/4 रकवा, 0.230 हैक्टेयर, प्रत्येक के भूमि स्वामी आवेदकगण हैं, आवेदकगण द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन तहसील चन्देरी से प्रकरण क्र0 20 अ–12 /2008–09, प्रकरण क्र0 22 अ–12/08–09, प्रकरण क्र0 23 अ–12 /08–09 एवं प्रकरण 26 अ–12/08–09 में पारित

2014 July - 127

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2298–दो / 2014 जिला–अशोकनगर

काशीगिर आदि विरूद्ध दीवान गिर व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
17–06–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार तहसील चन्देरी, जिला–अशोकनगर के प्र. क्र. 25 / अ–12 / 2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30–05–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी, जिला–अशोकनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–08–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 17/6/19 (आर.के. जैन) सदस्य